

संपत्ति अवधार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 20 आवेदन सं० 4676/2018

हस्ताक्षर श्री Dilip Kumar Singh

मे मेरे मास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवधारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाये।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्राप्त करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में बही दे और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में दाखल 2019/1988 से ता० 2004 तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चलता है अतः

अवधार फुल

क्रमांक	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश			
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Mauza		Mainpur Shankar						
	P.S.		Rubaspur						
	Tauza No		5234						
	Thana No		24						
	Khata No		233, 234, 74						
	S. Plot No		543, 544, 545, 546						
	Area		09 Katha 03 Dhur aliss						
			12455 : 4375 sqft.						

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्त की उनके बारे में चर्चे हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय:

तारीख:

Dis

Patra

23/5/18



मुख्य एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

23/5/18

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखया गया हो तो वेसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (बाहरी) और अनुक्रमागियों (इन्डेन्स) की प्रवृत्तियों देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियों और अनुक्रमागियों संग्रह प्राप्त सामने रख दी जायेगी।

किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी शूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँडे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँडे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक

ज्ञाप संख्या

489

दिनांक 23/5/18

आवेदक श्री

Dilip Kumar Singh

का रूपभार प्रमाण-पत्र द्वारा

Manager, Dena Bank, Maurza Lok
Branch, Patna

का उनके पत्र संख्या

दिनांक

के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

23/5/18

Patna

2278 20578

संपत्ति अवधार प्रमाण-पत्र

5584 22-578

Shri Dilip Kumar Singh

मैं यहाँ आवेदन दूँगा कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित जानकारी है: (आवेदन में दिये गये सत्य के अनुसार विवरण दे।)

इस पत्र में हमने द्वारा प्रमाणित करता है कि ऊपर संपत्ति को प्रमाणित करने के लिए हमने अपने ज्ञान के साथ ही और उससे सम्बद्ध आधिकारिक तथ्यों के साथ प्रमाणित किया है।

2005 to Hill date

अज्ञात है या नहीं

क्र. सं.	विवरण	निर्माण का तारीख	प्रकार की संपत्ति	संपत्ति का नाम		सम्पत्ति के प्र. निदेश		
				निर्माण	दस्तावेज	क्र. सं.	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

174422

Mainpur Shankar

Taluk

5234

Khatarn - S. plot No

233, 234, 77 543, 544, 545, 546

Thang

Rupaspur

24

Area

09 Katra 03 Phur areas

District

12455. 4375 - 50th

patna

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
 2. बंधक पत्र को रिशा ग्याज की कर और अंतर्गत की अवधि दर्ज करें। बंधक को उनके को में छोड़ दें।
 3. पट्टे को दशा में पट्टे की अवधि और बंधक को छोड़ दें।
- मे यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं और अंतर्गत की छोड़ तक संतान को प्रमाणित करने वाले रिशा ग्याज संस्थाओं और अंतर्गत का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): *U D C*

(नाम): *U D C*

तलासी का संस्थापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): *Chandra*

(नाम): *U D C*

कार्यालय: *Danapur*

तारीख: *28.5.2018*



महर्षि निवेदन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्रमाण पत्र में जो संस्थाओं और अंतर्गत दिखाने गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रमाणित विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण में भिन्न विवरण देकर किसी किसी संस्थाओं का निर्वाण दस्तावेजों में दिखाने गये हैं तो वे भी दस्तावेजों से प्रमाणित संस्थाओं (दानविक्रय) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निवेदन अधिनियम की धारा 10 के अधीन जो व्यक्ति (गृहस्थ) और अनुक्रमणिका (गृहस्थ) को प्रमाणित दस्तावेजों द्वारा अंतर्गत उनकी प्रतिनिधि संस्था छोड़ें, तो किसी किसी संस्थाओं के अंतर्गत के प्रमाण पत्रों को अंतर्गत की वे के अंतर्गत दस्तावेजों को छोड़ दें। किसी किसी संस्थाओं को छोड़ दें।

3. किसी भी वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अधिनियम तलासी प्रमाण की किसी भी के लिए किसी भी जिम्मेदार नहीं होगा।

4. और यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने अधिनियम तलासी नहीं की है और यदि आवेदक को छोड़ दें और अंतर्गत की संस्थाओं के बाद प्रमाण पत्र में दिया है, इसलिए विवरण आवेदक द्वारा दी गयी गयी है और अंतर्गत की छोड़ दें के लिए किसी भी जिम्मेदार नहीं होगा जिससे उन्हें संस्थाओं को छोड़ दें।

कार्यालय: *Danapur* *28.5.2018*

आवेदक का: *Dilip Kumar Singh*

का अंतर्गत प्रमाण पत्र द्वारा: *Danapur Branch Moradabad*

तारीख: *22/5/18*

Vinay